भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1208

दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण

†1208. **श्रीमती शांभवीः**

श्री नरेश गणपत म्हस्केः

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) डिजीटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) ने ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर सीमांत समुदायों के लिए भूमि अभिलेखों की पारदर्शिता और पहुंच में कितनी वृद्धि की है;

(ख) डीआईएलआरएमपी के अंतर्गत कितने प्रतिशत भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया गया है और ग्रामीण भारत में लगभग 95 प्रतिशत डिजिटलीकरण तक पहुंचने में योगदान देने वाली प्रमुख पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) डीआईएलआरएमपी के अंतर्गत लागू करने वाली विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) और राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) जैसी अनूठी विशेषताओं का ब्यौरा क्या है और इनसे भूमि स्वामित्व के प्रबंधन में ग्रामीण नागरिकों को कितना लाभ हआ है:

(घ) उप-पंजीयक कार्यालयों और भू-अभिलेखों के बीच किस हद तक एकीकरण किया गया है और इसने भू संपदा लेन- देन और भूमि प्रबंधन को किस प्रकार प्रभावित किया है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार भूमि प्रबंधन दक्षता को और बढ़ाने के लिए 'आधार आधारित लिंकेज' और ई-कोर्ट प्रणाली जैसी अतिरिक्त प्रौद्योगिकियों अथवा एकीकरणों के साथ डीआईएलआरएमपी का विस्तार करने का है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख) भारत सरकार देश में भूमि अभिलेखों/रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के डिजिटीकरण/कंप्यूटरीकरण के लिए वर्ष 2016-17 से केंद्र सरकार की ओर से शत प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) नामक एक व्यापक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। डीआईएलएमआरपी का लक्ष्य और उद्देश्य एक एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ; (i) भूमि पर रियल टाइम सूचना में सुधार होगा (ii) भूमि संसाधनों का इष्टतम उपयोग होगा; (iii) भू स्वामियों तथा भावी क्रेता-विक्रेता, दोनों को लाभ मिलेगा; (iv) नीति तथा नियोजन में सहायता मिलेगी; (v) भूमि विवादों में कमी आएगी; (vi) धोखाधड़ी पूर्ण/बेनामी लेनदेन को पर रोक लगेगी (vii) राजस्व/रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी (viii) विभिन्न संगठनों/एजेंसियों के साथ सूचनाओं को साझा किया जा सकेगा। डीआईएलआरएमपी भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और डिजिटीकरण के माध्यम से भारत के नागरिकों को सशक्त बनाने और उन्हें लाभान्वित करने हेतु भूमि सूचना और प्रबंधन प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए एक डिजिटल पहल है। डीआईएलआरएमपी एमआईएस के अनुसार, देश में 6,55,333 ग्रामों में से 6,26,210 ग्रामों में अधिकारों के अभिलेखों (आरओआर) के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा किया गया है। पूर्वोत्तर और लद्दाख के कुछ क्षेत्रों, जहां भूमि अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, को छोड़कर 98.5% अधिकारों के अभिलेखों (आरओआर) को कंप्यूटरीकृत किया गया है।

(ग) विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) अथवा भू-आधार भूखंड (अक्षांश-देशांतर) के कोनों के भू-निर्देशांकों के आधार पर प्रत्येक भूखंड को नियत 14 अंको की अल्फा-न्यूमेरिक विशिष्ट पहचान है। नागरिक इस विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से अपने भूखंड की स्थिति का ऑनलाइन पता लगा सकते हैं।

भू-आधार/यूएलपीआईएन को अब तक 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, बिहार, ओडिशा, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, असम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, तमिलनाडु, पंजाब, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, लद्दाख, चंडीगढ़, कर्नाटक और दिल्ली में अपनाया गया है।

विलेखों/दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए एक समान प्रक्रिया रखने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में "एक राष्ट्र एक रजिस्ट्रीकरण सॉफ्टवेयर" नामतः "राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस)" का कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज़ रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) अथवा ई-रजिस्ट्रीकरण देशभर में रजिस्ट्रीकरण विभागों के लिए तैयार की गई एक सामान्य, जेनेरिक, कॉन्फिगरेबल एप्लिकेशन है। यह एप्लिकेशन विशेष रूप से उप-रजिस्ट्रार, नागरिकों, रजिस्ट्रीकरण विभागों के शीर्ष प्रयोक्ताओं के लिए डिजाइन की गई है। एनजीडीआरएस अथवा ई-रजिस्ट्रीकरण राज्यों को राज्य विशिष्ट इन्सटेन्स तैयार करने और सॉफ्टवेयर को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कॉन्फ़िगर करने की सुविधा प्रदान करता है। यह नागरिकों को विलेख की ऑनलाइन प्रविष्टि, ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन एपॉइंटमेंट, ऑनलाइन एडमिशन, दस्तावेज़ खोज और प्रमाणित प्रति के सृजन के माध्यम से सशक्त बनाता है। एनजीडीआरएस अथवा ई-रजिस्ट्रीकरण से संबंधित डाटा रीयल टाइम आधार पर एनजीडीआरएस पोर्टल www.ngdrs.gov.in पर उपलब्ध है।

एनजीडीआरएस अथवा ई-रजिस्ट्रीकरण को 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिज़ोरम, पंजाब और त्रिपुरा द्वारा अपनाया गया है। अन्य 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, पुद्दुचेरी, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और तमिलनाडु ने एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई)/यूजर इंटरफेस (यूआई) के माध्यम से एनजीडीआरएस के राष्ट्रीय पोर्टल www.ngdrs.gov.in पर रजिस्ट्रीकरण संबंधी डाटा साझा करना शुरू कर दिया है।

(घ) देश में 5462 उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों (एसआरओ) में से, 4837 (88.56%), एसआरओ भूमि अभिलेखों के साथ एकीकृत किए गए हैं। इस एकीकरण के माध्यम से उप रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया पूरा करने से पहले भूमि अभिलेखों से विक्रेता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है जिससे धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेनों में कमी लाने में सहायता मिलेगी। इस प्रणाली ने, न केवल भूमि और अन्य सम्पत्तियों की रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया है बल्कि भूमि रजिस्ट्रीकरण से संबंधित धोखाधड़ी और विवादों को रोकने में भी सहायता की है। इसके अतिरिक्त, सम्पत्तियों के रजिस्ट्रीकरण में लोगों के समय की बचत हुई है और लागत में भी कमी आई है।

(ङ) भूमि अभिलेखों के साथ सहमति आधारित आधार के एकीकरण को दिनांक 01.04.2021 से डीआईएलआरएमपी के घटक के एक रूप में जोड़ा गया है। न्याय विभाग के सहयोग से ई-न्यायालय

को भूमि अभिलेख और रजिस्ट्रीकरण डाटाबेस के साथ जोड़ने का प्रायोगिक परीक्षण तीन राज्यों नामतः हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। ई-न्यायालय के साथ भूमि अभिलेखों और रजिस्ट्रीकरण डाटाबेस को जोड़ने का उद्देश्य न्यायालयों को प्रामाणिक मूल जानकारी उपलब्ध कराना है जिससे मामलों का त्वरित निपटान हो सके और अंततः भूमि संबंधी विवादों में कमी आए। इसके लाभों में अन्य बातों के साथ-साथः (i) भू-संदर्भित और लीगेसी डाटा सहित अधिकारों के अभिलेखों और भूकर मानचित्र के वास्तविक और प्रामाणिक साक्ष्य पर न्यायालय के लिए मूल सूचना उपलब्ध कराना (ii) विवादों को दाखिल करने और उनके निपटान संबंधी निर्णय लेने के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना, (iii) देश में भूमि विवादों की संख्या में कमी लाना, जिससे कारोबार करने में आसानी मिलेगी और रहन-सहन में आसानी को बढ़ावा मिलेगा, शामिल हैं।

****